रजिस्ट्री सं० डी- 111

REGISTERED No. D-228

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

29 MAY 1974

सं० 51 नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1973 (पौष 1, 1895)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1973 (PAUSA 1, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1079
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	2035
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	209
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1403
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2241
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3757
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	351
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6807
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	685
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	71
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1881
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	219
पूरक संख्या 51—	
15 दिसम्बर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1641
24 नवम्बर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा कई बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े	1653

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1079
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	2035
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	209
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1403
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	2241
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3757
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	685
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6807
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	581
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	71
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1881
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	219
SUPPLEMENT NO-51	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 15th December 1973.	1641
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 24th November 1973	1653

भाग 1—खण्ड I

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by thd Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1973

सं० 74-प्रेज/73 — राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जावक्रिम लेकरा,
कांस्टेबिल सं० 65016315,
16वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिसम्बर, 1971 में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चालियारी चौकी की रक्षा का भार केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 16वीं बटालियन की 'ए०' कम्पनी को सौंपा गया था। भारतीय सेना ने 5/6 दिसम्बर, 1971 की रात को चक भूरा के समीप की पाकिस्तानी चौकी पर आक्रमण किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति पर भारी गोलाबारी कर जवाबी आक्रमण किया। भारी गोलाबारी के कारण चालियारी चौकी की संचार व्यवस्था नष्ट हो गयी। उस दशा में जावक्रिम लेकरा, जो प्रशिक्षित टैक्निशियन हैं, संचार व्यवस्था के नष्ट हुए यंत्र का पता लगाने के लिए अपनी जान पर गम्भीर खतरा लेकर, अपने बंकर से तुरंत बाहर आए। उन्होंने ने संचार व्यवस्था को ठीक किया तथा लगातार गोलाबारी के बावजूद इसे दो घन्टे तक कायम रखा।

श्री जावक्रिम लेकरा ने शत्रु की गोली के सामने संयमित धैर्य तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i)के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 दिसम्बर, 1971 से दिया जायगा।

सं० 75-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुल्तान सिंह,
सूबेदार,
23वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

18 सितम्बर, 1972 को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 23वीं बटालियन की "बी" कम्पनी के मुख्यालय को सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र विरोधी मिजोराम के लुंगफो गांव में हैं। श्री सुल्तान सिंह की कमान में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल का एक गश्ती दल इन विरोधियों को तलाश करने तथा पकड़ने के लिए तैनात किया गया। गश्ती दल 19 सितम्बर, 1972 को लगभग प्रातः 3.00 बजे लुंगफो गांव की सीमा में पहुंचा। श्री सुल्तान सिंह विरोधियों का पता लगाने के लिए सादे कपड़ों में गांव में गये। जिन स्थानों पर विरोधी बार-बार आते थे उनके बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के पश्चात् श्री सुल्तान सिंह ने क्षेत्र की नाकाबन्दी की और गांव की छानबीन शुरू कर दी। सारा दिन प्रयत्न करने के पश्चात् वे एक विरोधी को पकड़ने में सफल हो गये। इस विरोधी द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप तीन अन्य विरोधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 रायफलें, एक ग्रेनेड और गोलाबारूद के 550 राउंड बरामद हुए।

विरोधियों को पकड़ने तथा उनके हथियार और गोलाबारूद बरामद करने में श्री सुल्तान सिंह ने अनुकरणीय नेतृत्व, निर्भीकता तथा उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 76-प्रेज/73—राष्ट्रपति मिजोराम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अजय कृष्ण राय,
पुलिस उप अधीक्षक,
मिजोराम विशेष शाखा,
मिजोराम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

सितम्बर, 1972 में मिजोराम पुलिस की विशेष शाखा को सूचना मिली कि ऐजल स्थित विधान सभा भवन तथा सचिवालय में मंत्री के कक्ष को क्षति पहुंचाने के लिए अपने आप को एम०एन० एफ० पुलिस का अधीक्षक तथा कप्तान बताने वाले दो व्यक्ति

तोड़-फोड़ की एक योजना बना रहे हैं। इन दो अतताइयों को पकड़ने का कार्य श्री अजय कृष्ण राय को सौंपा गया। पुलिस अधिकारियों के चार दल श्री राय के अधीन कार्य करने के लिए तैनात किये गये। 6 अक्तूबर, 1972 को सुबह के लगभग 10.45 पर एक दल ने विरोधियों को देखा तथा श्री राय को सूचित किया। सूचना मिलने पर श्री राय विरोधियों के छुपने के स्थान की ओर चले। छुपने के स्थान पर पहुंचकर श्री० राय ने विरोधियों के बचकर भाग निकलने के मार्ग पर निगरानी रखने के लिए दो व्यक्तियों को तैनात किया था वे स्वयं मकान में घुस गए। उन्होंने बक्स पर बैठे दो नवयुवकों को देखा। क्योंकि उन्हें अतताइयों की पहचान नहीं थी अतः वे मकान के पिछले भाग की ओर चले गये। उसी समय उनके साथ वाले पुलिस निरीक्षक ने उन्हें सूचना दी कि जो दो व्यक्ति, लकड़ी के बक्स पर बैठे थे वे ही अततायी हैं। श्री राय फिर कमरे में घुसे और उन्होंने एक अततायी को पकड़ लिया। अततायी यकायक खड़ा हो गया और उसने अपना भरा हुआ रिवाल्वर निकाल कर श्री राय की ओर तान दिया। इसी बीच पुलिस सहायक उप निरीक्षक कमरे में घुसे और उन्होंने विरोधी को रिवाल्वर सहित पकड़ लिया। श्री राय ने दूसरे अततायी से रिवाल्वर छीन लिया। दोनो अततायी गिरफ्तार कर लिये गये।

श्री अयज कृष्ण राय ने अतताइयों को गिरफ्तार करने में उतकृष्ट साहस तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमवाली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 77-प्रेज०/73 —राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री नारायण दास,
हैड कांस्टेबिल सं० 1228/380 (**स्थानापन्न**)
जिला अम्बाला, **स्वर्गीय**
हरियाणा।
श्री जागीर सिंह,
कांस्टेबिल सं० 1223,
जिला अम्बाला,
हरियाणा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 दिसम्बर, 1971 को दो कांस्टेबिल सर्वश्री जागीर सिंह और ईशर सिंह समेत हैडकांस्टेबल नारायण दास गश्त तथा नाकाबन्दी की ड्यूटी पर जगाधरी से बुरिया के लिये रवाना हुए। जब वे मुश्किल से दो० सौ गज की दूरी तक गये होंगे तो उन्होंने दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए देखा। पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि उस व्यक्ति ने जो आगे भाग रहा है पीछा करने वालों में से एक की जेब काट ली है। श्री नारायण दास और श्री जागीर सिंह दोनों भी अपराधी का पीछा करने लगे। जब श्री नारायण दास ने अपराधी को पकड़ लिया, तो अपराधी ने चाकू निकाला और श्री नारायण दास के सीने में तीन चार वार किये। घाव लगने के बावजूद श्री नारायण दास ने अपराधी को कसके पकड़े रखा और साहस तथा बहादुरी के साथ उसको तब तक पकड़े रखा जब तक कि अधिक खून निकल जाने के परिणाम स्वरूप कमजोरी के कारण वे जमीन पर गिर नहीं गये। श्री जागीर सिंह को भी, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, अपराधी ने छुरा घोंप दिया था जिससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। किन्तु तीसरे कांस्टेबिल जो उस समय तक घटनास्थल पर पहुंच गये थे, अपराधी को काबू में कर लिया। बाद में घावों के कारण श्री नारायण दास का देहावसान हो गया।

श्री नारायण दास और श्री जागीर सिंह दोनों ने एक खतरनाक तथा भयंकर अपराधी को पकड़ने के अपने प्रयास में उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता तथा उतकृष्ट वीरता का परिचय दिया। अपराधी को पकड़ने के प्रयास में श्री नारायण दास ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विषेश स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 78-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि-शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कड़ियाला नरसिंह राव,
जमादार,
5वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3 मई, 1972 को नादिया जिले में एक अमराई में कुछ चोटी के उग्रवादियों के छुपने के बारे में सूचना मिली। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 5वीं बटालियन के जमादार कड़ियाला नरसिंह राव के साथ शांतिपुर पुलिस थाने के मण्डल निरीक्षक श्री एस० सी० कुन्डू के नेतृत्व में एक पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। छापामार दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया जिनमें से एक का नेतृत्व जमादार राव ने किया। पुलिस दल को देखकर उग्रवादियों ने हथगोले फेंके और गोली चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आड़ में उग्रवादियों ने बच निकलने का प्रयत्न किया परन्तु उनका यह प्रयत्न विफल कर दिया गया। जमादार राव ने, जो बाजू में थे, उस स्थान का पता लगाने का प्रयत्न किया जहां से उग्रवादी गोली चला रहे थे। अपनी जान को खतरे में डाल कर वे एक उग्रवादी के मोर्चे का पता लगा सके जो उनकी पिस्तौल की मार से बाहर था। यह मोर्चा उन्होंने कांस्टेबल दलीप कुमार सिंह को दिखाया जिसने इस उग्रवादी को, जो कि अनुकूल स्थिति संभाले हुए था, उलझाये रखा। जमादार राव चलकर खुले स्थान में आ गए ताकि व घटनास्थल पर उग्रवादी के निकट पहुंच सकें। यह सब कुछ खुले स्थान पर चल रही गोलियों तथा हथगोलों के टुकड़ों से अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए किया गया। उनके दृढ़-निश्चय से न केवल उनके अपने जवानों को

प्रेरणा प्राप्त हुई अपितु स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा मिला । कांस्टेबल दलीप कुमार सिंह, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में उग्रवादियों को उलझाये रखा, बड़ी योग्यता से उनकी सहायता की ।

यद्यपि दो उग्रवादियों को गोली से मार दिया गया, तथापि दो बचकर भाग गये पुलिस दल द्वारा उनका पीछा किया गया । अपेक्षाकृत खुले स्थान में कांस्टेबल दलीप कुमार सिंह ने दो उग्रवादियों में से एक पर प्रभावी ढंग से गोली चलाई और उसे मार डाला । दूसरा उग्रवादी भी अन्तिम मुठभेड़ में मारा गया ।

जमादार कड़ियाला नरसिंह राव ने उग्रवादियों का सामना करने में उत्कृष्ट वीरता तथा नेतृत्व के उल्लेखनीय गुनों का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि-शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मई, 1972 से दिया जाएगा ।

सं० 79-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दलीप कुमार सिंह,
कांस्टेबल,
5वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3 मई, 1972 को नादिया जिले में एक अमराई में कुछ चोटी के उग्रवादियों के छुपने के बारे में सूचना मिली । केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 5वीं बटालियन के जमादार कड़ियाला नरसिंह राव के साथ शांतिपुर पुलिस थाने के मण्डल निरीक्षक श्री एस० सी० कुन्डू के नेतृत्व में एक पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा । छापामार दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया जिनमें से एक का नेतृत्व जमादार राव ने किया । पुलिस दल को देखकर उग्रवादियों ने हथगोले फेंके और गोली चलानी शुरू कर दी । गोलियों की आड़ में उग्रवादियों ने बच निकलने का प्रयत्न किया परन्तु उनका प्रयत्न विफल कर दिया गया । जमादार राव ने, जो बाजू में थे, उस स्थान का पता लगाने का प्रयत्न किया जहां से उग्रवादी गोली चला रहे थे । अपनी जान को खतरे में डाल कर वे एक उग्रवादी के मोर्चे का पता लगा सके जो उनकी पिस्तौल की मार से बाहर था । यह मोर्चा उन्होंने कांस्टेबल दलीप कुमार सिंह को दिखाया जिसने इस उग्रवादी को, जो कि अनुकूल स्थिति संभाले हुए था, उलझाये रखा । जमादार राव चल कर खुले स्थान में आ गए ताकि वे घटनास्थल पर उग्रवादियों के निकट पहुंच सकें । यह सब कुछ खुले स्थान पर चल रही गोलियों तथा हथगोलों के टकड़ों से अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए किया गया । उनके दृढ़-निश्चय से न केवल उनके अपने जवानों को प्रेरणा प्राप्त हुई अपितु स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ावा मिला ।

दो उग्रवादियों को गोली से मार दिया गया, और दो बचकर भाग गये । पुलिस दल द्वारा उनका पीछा किया गया । अपेक्षाकृत खुले स्थान में कांस्टेबल दलीप कुमार सिंह ने दो उग्रवादियों में से एक पर प्रभावी ढंग से गोली चलाई और उसे मार दिया । दूसरा उग्रवादी भी अंतिम मुठभेड़ में मारा गया ।

उग्रवादियों का सामना करने में श्री दलीप कुमार सिंह, कांस्टेबल ने उदाहरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता की भावना का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिसपदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मई, 1972 से दिया जाएगा ।

दिनांक 10 दिसम्बर, 1973

सं० 80-प्रेज/73—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मान बहादुर,
नायक,
"एफ०" कम्पनी, 1ली बटालियन,
आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस,
आंध्र प्रदेश

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 जून, 1972 को पुलिस को सूचना मिली कि रामनुजपुरम के पास वनगुट्टा पहाड़ी की चोटी पर कुछ उग्रपंथी छिपे हुए हैं । सूचना मिलने पर एक पुलिस दल रामानुजपुरम् के कुछ ग्रामीणों के साथ वनगुट्टा पहाड़ी की ओर गया । श्री मान बहादुर उस पुलिस दल के एक सदस्य थे । पुलिस दल को दो टुकड़ियों में बांटा गया, जिनमें से एक का नेतृत्व श्री मान बहादुर ने किया । श्री मान बहादुर के दल को पहाड़ी के पश्चिम की ओर से उस की चोटी पर चढ़ने को कहा गया । जब यह पुलिस दल पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उग्रपंथियों द्वारा अचानक उन पर अनुकूल स्थिति से गोली चलाई गई । श्री मान बहादुर ने यह देख कर कि एक उग्रपंथी उन पर गोली चलाने ही वाला है, आड़ ली और उग्रपंथी पर गोली चलादी । उग्रपंथी गोली से मारा गया । इसी बीच दूसरे उग्रपंथी ने श्री मान बहादुर पर गोली चलाई किन्तु श्री मान बहादुर अविचलित रहे । मुठभेड़ के परिणामस्वरूप श्री मान बहादुर के हाथों यह उग्रपंथी भी मारा गया ।

उग्रपंथियों के साथ मुठभेड़ में श्री मान बहादुर ने उत्कृष्ट वीरता तथा कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5

के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जून, 1972 से दिया जाएगा ।

सं० 81-प्रेज/73—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हेम राज,
हैड कांस्टेबल,
19वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

पाकिस्तानी तस्करों पकड़ने के लिए घनूर स्थित सीमा सुरक्षा दल चौकी के जवानों ने 6/7 जनवरी, 1973 की रात को घात लगाई । हैड कांस्टेबल श्री हेम राज घात-दल के एक सदस्य थे । 7 जनवरी, 1973 को प्रातः लगभग 4.30 बजे घात-दल ने दो व्यक्तियों को पाकिस्तान की ओर से आते देखा । ललकारे जाने पर उन्होंने घात दल पर गोली चला दी तथा अन्धेरे में निकट के कपास के खेतों के बीच से बच भागने का प्रयास किया । घात दल अंधेरे तथा खेतों में कपास की फसल के कारण कारगर ढंग से गोलीबारी नहीं कर सका । श्री हेमराज ने एक तस्कर को देखा और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे उसकी ओर बढ़े और उसे पकड़ कर उसकी रायफल भी छीन ली । तत्पश्चात् घुसपेठिये की तलाशी ली गई । उसके पास एक रिवालवर तथा 4000 रुपये के मूल्य का वर्जित माल मिला ।

पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ने में श्री हेम राज ने उत्कृष्ट वीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अकेले ही सशस्त्र तस्कर को पकड़ लिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 82प्रेज/73—राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अमरेन्द्र नाथ गुप्त,
पुलिस उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
अपराध आसूचना अनुभाग,
गुप्तचर विभाग,
कलकत्ता ।

सेवाओं का विवरण जिनके के लिए पदक प्रदान किया गया

2 दिसम्बर, 1970 को प्रातः लगभग 7.30 बजे जब श्री अमरेन्द्र नाथ गुप्त सादा कपड़ों में अपने निवास से बाहर आये तो अचानक उन पर चार नवयुवकों ने हमला कर दिया तथा उनके सीने तथा पेट में छुरा घोंप दिया। श्री गुप्त के बहुत ज्यादा खून बहने लगा किन्तु अपने घावों की जरा भी परवाह न करते हुए उन्होंने आक्रमणकारियों का पीछा किया । उनके एक पड़ौसी ने आक्रमणकारियों को पकड़ने की कोशिश की किन्तु भागते हुए आक्रमणकारियों ने उन्हें छुरा घोप कर मार दिया। अपने घावों के बावजूद श्री गुप्त ने आक्रमणकारी का पीछा जारी रखा तथा अन्त में उसे गोली से मार दिया । तत्पश्चात् वे अचेत होकर गिर गये ।

श्री अमरेन्द्र नाथ गुप्त ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रपंथियों के साथ मुठभेड़ में महान साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 दिसम्बर, 1970 से दिया जाएगा।

सं० 83-प्रेज/73—राष्ट्रपति तमिलनाडु अग्निशमन सेवा के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वासुदेवन जयपेरूमल,
प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी,
दक्षिण आरकाट—चिंगलेपुट प्रभाग,
तमिल नाडु ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5/6 दिसम्बर, 1972 की रात्री को पेन्नियार, गडिलम् परवानर और गोमुखी नदियों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई हुई थी। तूफान के कारण भी व्यापक विनाश हुआ था। 8 दिसम्बर 1972 को श्री वासुदेवन जयपेरूमल को मेलपाट्टा-मबक्म के समीम थट्टामपलायम के उन ग्रामीणों के लिये बचाव कार्यों की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया जिनका बाढ़ में फंसे होने का समाचार मिला था और जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्री जयपेरूमल शीघ्र घटना स्थल पर पहुंचे और खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को, जहां पानी की गहराई 4 से 5 फीट तक थी, पार किया। श्री जयपेरूमल द्वारा आयोजित बचाव कार्यों से 8 दिसम्बर, 1972 को वनबाकक्म् तथा पुडुकुप्पम गांवों में लगभग 600 जाने बचाई गई तथा 9 और 10 दिसम्बर, 1972 को कुड्डोलोर में तथा उसके आसपास लगभग 1,500 व्यक्ति बचाये गये। श्री जयपेरूमल ने चिन्नाकांगनांकुप्पम के पास 10 व्यक्तियों को बाढ़ में बहने में भी बचाया। बचाव कार्य का आयोजन करने में

श्री जयपेरूमल ने अपने जीवन की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए रात दिन अथक कार्य किया।

श्री वासुदेवन जयपेरूमल ने बचाव कार्य की व्यवस्था करने में उत्कृष्ट वीरता तथा उच्च कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और इस प्रकार डूबते हुए 2,632 व्यक्तियों का जीवन बचाया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 84-प्रेज/73—राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सचिन्द्र नाथ चक्रवर्ती,
कांस्टेबल सं० 15241,
अपराध आसूचना अनुभाग,
गुप्तचर विभाग, कलकत्ता

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

1 अगस्त, 1970 को कलकत्ता के सूचीपाड़ा पुलिस थाने के अन्तर्गत राम कान्त मिस्त्री लेन, में उग्रपंथियों के एक गुप्त स्थान पर, जहां कुछ हथियार व गोलाबारूद जमा किये जाने की सूचना मिली, छापा मारने के लिये कलकत्ता पुलिस के कुछ सदस्यों के साथ श्री सचिन्द्र नाथ चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। जब पुलिस दल संदिग्ध स्थान पर पहुंचा तो उस पर बमों से हमला किया गया। हमले की परवाह न करते हुए पुलिस दल ने अनुकूल स्थान पर मोर्चा जमाया तथा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। किन्तु उन पर पुनः बमों से हमला किया गया। श्री चक्रवर्ती तथा पुलिस दल के सदस्यों ने उग्रपंथियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक घायल उग्रपंथी को हिरासत में ले लिया गया। बाद में पुलिस ने कुल मिलाकर नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और कुछ बम तथा बमों के अंश भी बरामद किये गये।

उग्रपंथियों के साथ मुठभेड़ में श्री सचिन्द्र नाथ चक्रवर्ती ने उग्रपंथियों के गुप्त स्थान पर छापा मारने में निजी खतरा उठा कर प्रशंसनीय साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 1970 से दिया जाएगा।

अशोक मित्र
राष्ट्रपति के सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1973

सं० नं० ए०-14012/8/71-प्रशा०:—राष्ट्रपति के सचिव एतद्द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के स्थानापन्न सहायक संदर्भ अधिकारी, श्री राजेश्वरी प्रसाद को दिसम्बर, 10, 1973 पूर्वाह्न से आगामी आदेश पर्यन्त राष्ट्रपति सचिवालय के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-14012/8/71-प्रशा०:—राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सचिवालय के स्थायी अवर सचिव श्री ए० के० मुखर्जी को 10 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेश पर्यन्त, राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के स्थानापन्न उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सचिवालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री ओम प्रकाश शर्मा को 10 दिसम्बर, 1973, के पूर्वाह्न से, आगामी आदेश पर्यन्त, राष्ट्रपति सचिवालय में स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० जी० रामकृष्णन्, अवर सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर, 1973

संकल्प

सं० एम०-17011/12/72-सप्लाई:—भारत सरकार ने दो पैनल बनाने का निश्चय किया है जिनमें पहला विभिन्न आकारों के नये उद्यमों के बैस स्टाक के आंबटन के सम्बन्ध में आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए तथा दूसरा नये एवं पुराने उद्यमकर्त्ताओं तथा उत्पादक यूनिटों के बीच सम्भारण सामग्री के आबंटन के लिए होगा,

2. इन नामिकाओं (पैनल्स) की संरचना एवं शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न आकारों के नये उद्यमों के बैस स्टाक के आबंटन के सम्बन्ध में आवेदनपत्रों पर विचार करने के लिए पैनल:—

संरचना	शर्तें
(अध्यक्ष) (1) श्री एम० कुरियन सलाहकार (शोधनशालाएं) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	पैनल आकड़ों का संकलन तथा अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय आधार पर मांग के स्तर तथा भविष्य के लिए वृद्धि की दर का निर्धारण करेगा जिससे आवेदन पत्र के गुणावगुण के निर्णय करने में सरकार को सहायता मिलेगी पैनल तकनीकी आर्थिक

(सदस्य)	
(2) डा० आई० बी० गुलाटी प्रभाग्याध्यक्ष, भारतीय तेल निगम, (अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र) हाउस सं० 45-46, सैक्टर 16 ए फरीदाबाद ।	सर्वेक्षण, जिसे नीचे दिए गए अनुसार भारतीय पैट्रोलियम संस्थान तथा भारतीय तेल निगम द्वारा किया जा सकता है, के पश्चात् सरकार को क्षेत्र के स्वरूप (लघु, मध्यम अथवा बृहत) आकार का माप तथा नए उद्यमकर्त्ताओं को बेस स्टाक के कोटे के आबंटन के सम्बन्ध में भी सिफारिश करेगा ।
(3) श्री पी० के० गोयल, (अध्यक्ष) प्रोडैक्ट्स आप्लिकेशन डिवीजन, इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री एच० के० मुलचन्दानी, अध्यक्ष प्रोजैक्ट डिवीजन, इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोलियम, 19, रिंग रोड, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली -24 ।	(क) उद्यमकर्त्ता द्वारा अपने आवेदन पत्रों में उल्लिखित उत्पादन किये जाने वाले उत्पाद की तकनीकी क्षमता का पता लगाने के लिए उत्पादक एककों का दौरा । (ख) पार्टी की प्रमाणिकता तथा अनेक मामलों पर उनके बिक्री करने वाले प्रतिनिधियों द्वारा जांच ।

(2) समस्त नये, एवं पुराने उद्यमकर्त्ताओं तथा विनिर्माण एककों के बीच सम्भरण सामग्री के आबंटन हेतु पैनल ।

अध्यक्ष	पैनल
(1) श्री एम० कुरियन सलाहकार (शोधनशाला) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	(क) सभी नये एवं पुराने उद्यमकर्त्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पंजीकृत तथा लघु क्षेत्रीय उत्पादक एककों के बीच सामान स्तर पर सम्भरण सामग्री का आबंटन करेगा
(2) श्री एस० एम० सक्सेना मैनेजर, स्पेशल प्रोजेक्ट, (लुब्रीकैन्ट्स), विपणन प्रभाग, भारतीय तेल निगम, 254-सी, डा० एने बसन्त रोड, प्रभादेवी, बम्बई-25 डी डी ।	(ख) की गई सप्लाई, उत्पादित एवं बेची गई सामग्री के आंकड़ों को ठीक रखेगा ।
(3) श्री पी० के० गोयल सस्दय, अध्यक्ष, प्रौडैक्टस् अप्लिकेशन डिवीजन, इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून । अथवा उनकी अनुउपस्थिति में श्री एच० के० मूलचन्दानी, अध्यक्ष, प्रोजैक्ट डिवीजन, इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैट्रोलियम 19, रिंग रोड, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली -24 ।	(ग) देश में मांग को पूरा करने के लिए यदि सम्भरण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो सरकार को सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सिफारिश करेगा; और (घ) कच्च माल की सप्लाई करने से पूर्व यदि पार्टियों पर आई० एस० आई० अंकित हो (गुण नियंत्रण के मामले के सम्बन्ध में) तो उन पर नियंत्रण रखेगा ।

5. उपरोक्त दो पैनलों द्वारा यथा अपेक्षित सचिवालय सम्बन्धी सेवाओं को भारतीय तेल निगम व्यवस्था करेगा । जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है; उत्पादों के उत्पादन करने के लिए विनिर्माणकों की तकनीकी योग्यता का पता लगाने के लिए तकनीकी सुविज्ञता की व्यवस्था इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैट्रोलियम करेगा ।

6. पैनल की बैठक कम से कम तीन महीनों में एक बार और यदि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा गया तो यथाकदा भी हो सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी एवं यह सैनिक सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को सूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए० एस० मेहता, उप-सचिव

कृषि मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1973

संकल्प

सं० आर०-15013(2)-70- यो० तथा सम०:—इस विभाग के 2 सितम्बर, 1972, 13 फरवरी, तथा 27 जुलाई, 1973 के इसी संख्या के संकल्पों, जिनमें सहकारिता सलाहकार

परिषद् पुनर्गठित तथा परिवर्धित की गई है, के सिलसिले में दिनांक 2 सितम्बर, 1972 के संकल्प के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित और जोड़ा जाता है :—

28. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए । यह भी आदेश है कि इस संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एस० बावा, संयुक्त सचिव,

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1973

संकल्प

सं० ई० 11015/1/73-सी० डी० एन०—शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय के कार्य के स्वरूप तथा देश के लगभग सभी राज्यों में इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के ठोस कार्य को देखते हुए यह आवश्यक है कि गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा राज भाषा अधिनियम के अनुसार मंत्रालय के कार्य में केन्द्रीय राज भाषा, हिन्दी का प्रगामी प्रयोग किया जाए । इस मंत्रालय को, अपने सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने के बारे में सलाह देने हेतु एतद्द्वारा शिक्षा ,समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति (शिक्षा मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति) का गठन करने का निश्चय किया जाता है । इस समिति का गठन तथा कार्य निम्नलिखित होंगे :—

1. **गठन**

शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री	उपाध्यक्ष, जो शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेंगे ।

लोक सभा से चार संसद सदस्य

1. श्री नवलकिशोर सिन्हा, संसद् सदस्य	सदस्य
2. श्री मलिकार्जुन, संसद् सदस्य	"
3. श्री शंकर देव, संसद् सदस्य	"
4. रिक्त स्थान	

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री विदेश्वरी प्रसाद सिंह संसद सदस्य	सदस्य
2. श्री मान सिंह वर्मा, संसद सदस्य	"
शिक्षा सचिव	सदस्य
अपर सचिव (संस्कृति)	"
अपर सचिव (समाज कल्याण)	"
भारत सरकार गृह मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार	"
गृह मंत्रालय में राजकीय भाषा के कार्यभारी संयुक्त सचिव	"
शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुख	"
संयुक्त सचिव (समाज कल्याण)	सदस्य
शिक्षा विभाग के प्रशासन प्रभाग के ब्यूरो प्रमुख सदस्य सचिव होंगे और निदेशक (प्रशासन) ।	

संयुक्त सदस्य-सचिव होंगे ।

2. **कार्य**

समिति का कार्य भारत सरकार, शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय को, मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित नीति के मामले में और इसमें सहायक तथा प्रासंगिक मामलों में सलाह देना होगा ।

3. **कार्यविधि**

समिति के सदस्यों की कार्यावधि समान्यतया उसकी प्रथम संरचना की तारीख से तीन वर्ष होगी, बशर्ते कि :

(i) धारा 1 के अधीन नामजद कोई सदस्य, संसद सदस्य न रहने पर तुरन्त ही समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(ii) समिति के पदेन सदस्य, उस समय तक समिति के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे उस पद पर आसीन रहें, जिसके कारण से वे समति के सदस्य हों ।

(iii) यदि समिति में, किसी सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त हो जाए, तो उक्त रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष कार्यकाल की बकाया अवधि तक पदधारी रहेगा ।

4. **गणपूर्ति (कोरम)**

समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति, समिति की कुल सदस्यता का एक तिहाई होगा ।

5. **सामान्य**

(i) समिति, अपनी बैठकों, में भाग लेने के लिए समय-समय पर आवश्यक होने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है ।

(ii) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री

सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आयोजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

न० कि० सेठ,
निदेशक (प्रशासन) ।

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973

संकल्प

सं० एफ०-1-11-/71-एस० डब्ल्यू-3/डब्ल्यु० डब्ल्यु:—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के साधारण निकाय का गठन करने वाले समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ०-1-16/69-एस० डब्ल्यू-3 दिनांक 22 अप्रैल, 1969, जैसा कि उसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के आंशिक अशोधन में भारत सरकार डा० बी० डी० मल्लिक, आयुक्त, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, को डा० (कुमारी) लीला वी० पाटक के स्थान पर 1 फरवरी, 1973 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में एक सदस्य के रूपमें नियुक्त करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता कि है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाएं :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मंत्री मंडल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय ।
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (50 अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित) ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० सत्यम, भारत सरकार के उप सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1973

संकल्प

सं० एफ-22-3/73-सी० ए० -1 (12):—भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि इस विभाग के संकल्प संख्या एफ 22-7/69-सी० ए० 1(12) दिनांक 10 मार्च, 1972 में यथा अधिसूचित, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (1972) के संविधान को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाए :—

(1) पैरा 3(T)(ए) (7) के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाय :—

"(8) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के काम से संबंधित निदेशक अभिलेखागार द्वारा मनोनीत उप निदेशक अभिलेखागार अथवा सहायक निदेशक अभिलेखागार.....पदेन संयुक्त सचिव ।

(2) पैरा 3 1 (T) (सी) के बाद निम्नलिखित पैरा और जोड़ दिया जाय :—

"(घ) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के काम से संबंधित निदेशक अभिलेखागार द्वारा मनोनीत उप निदेशक अभिलेखागार अथवा सहायक निदेशक अभिलेखागार...पदेन संयुक्त सचिव ।

(अधिसूचना के हिन्दी रुपान्तर की एक प्रति भी संलग्न है)

आदेश

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम० आर० चौधरी, अवर सचिव

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1973

सं० 11/13/67-बी० एण्ड बी० :—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर, 1973 के स्थान पर यह निश्चय किया गया है कि सलाहकार बोर्ड, व्यास परियोजना का निम्नलिखित रूप से तुनर्गठन किया जाए, जो कि तुरन्त लागू होगा :—

1.	डा० ए० एन० खोसला .	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग . . .	सदस्य
3.	श्री एम० आर० चोपड़ा . .	सदस्य
4.	श्री बी० आर० आर० आयंगर .	सदस्य

अध्यक्ष, डब्ल्यू० ए० पी० सी० ओ० एस०

5. श्री एन० जी० के० मूर्ती . . सदस्य
6. श्री पी० एस० भटनागर . . सदस्य
7. श्री के० एल० विज . . सदस्य
8. श्री आर० एस० गिल . सदस्य
जम्मू और कश्मीर सरकार के आयुक्त एवं पदेन सचिव, विद्युत् विभाग जम्मू/श्रीनगर,
9. श्री हरि सिंह चौधरी, . . सदस्य
अध्यक्ष, एवं प्रशासक, राजस्थान नहर बोर्ड।
10. सदस्य (जल विद्युत्), . . सदस्य
केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग
11. डा० एफ० ए० निकेल . . सदस्य
12. श्री जे० बी० कुक . . सदस्य
13. सिन्धु जल के आयुक्त और भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव . . सदस्य
14. श्री एम० के० राय चौधरी . सदस्य
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महा-निदेशक ; और
15. श्री पी० एम० माने . . सदस्य

सी० एस० हुकमानी, उप-सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर, 1973

संकल्प

स० 7/20/72-पी० एस०—राष्ट्रपति भवन (निर्माण) संगठन के कार्य का पुनर्गठन तथा स्थापना विषयक राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, भारत सरकार ने, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की स्थायी समिति के स्थान पर जिसकी स्थापना निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के दिनांक 9 जुलाई, 1954 के सकल्प सं० एच०-4(8)/54 द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की सलाहकार परिषद् का इसी तारीख से संघठन किया है। सलाहकार समिति का संघटन निम्नलिखित है :—

प्रधान

निर्माण और आवास मंत्री

सदस्य	संख्या
निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री	1
सस्दय, आयोजना आयोग (आवास)	1
सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय	1
प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगरीय विकास निगम, समिति	1
संयुक्त सचिव (आवास), निर्माण और आवास मंत्रालय	1
निर्माण और आवास मंत्रालय के सबद्ध संयुक्त सचिव (वित्त)	1
प्रमुख इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1
प्रमुख इंजीनियर, सैनिक इंजीनियरी सेवा	1
सदस्य (इंजीनियरिंग) रेलवे बोर्ड	1
राज्य लोक निर्माण विभागों के मुख्य इंजीनियर (बारी-बारी से)	4
प्रधान, इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरस् (भारत)	1
सलाहकार (निर्माण) सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय	1
भारतीय तकनीकी संस्थान तथा तकनीकी विश्व-विद्यालय (बारी से)	1
उत्तरी दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों से भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार (बारी से)	2
प्रधान, भारतीय वास्तुक संस्थान	1
मुख्य वास्तुक, के० लो० नि० वि०/एम० ई०/एस०/रेलवे (बारी से)	1
अपना व्यवसाय करने वाले वास्तुक, दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता तथा मद्रास क्षेत्र (बारी से)	2
प्रधान, भवन निर्माण सामग्री निर्माता (बारी से)	2
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	1
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान (बारी से)	1
अध्यक्ष, राज्य आवास बोर्ड (बारी से)	3
निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान	1
निदेशक, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र	1
महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान	1
महानिदेशक, तकनीकी विकास	1
विकास आयुक्त, लघु उद्योग	1
चीफ (आवास तथा नगर विकास) आयोजना आयोग	1
निदेशक, राज्य लोक निर्माण विभाग, अनुसंधान प्रयोगशालायें तथा अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाएं (बारी से)	1
महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मनोनीत (वैज्ञानिक-समन्वयकारी विस्तार तथा औद्योगिक सम्पर्क (सी० एस० आई० आर०)	1
भारत के राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र के प्रधान (सदस्य सचिव)	1
निदेशक, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन	1
जोड़	40

2. इसके अतिरिक्त, स्थायी समिति की उपयुक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के कार्य का दिन प्रतिदिन के आधार पर पुनरीक्षण तथा

मार्गदर्शन करने, तथा उस संगठन को सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को अत्यन्त प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किये जाने के लिए, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की एक कार्यकारी समिति का इसी तारीख से संघटन किया है। जिस के 12 सदस्य होंगे :—

कार्यकारी समिति का संघटन इ स प्रकार है :—

अध्यक्ष

सदस्य, आयोजना आयोग (आवास)

उपाध्यक्ष,

संयुक्त सचिव (आवास) निर्माण और आवास मंत्रालय

सदस्य

1. प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगरीय विकास निगम समिति।
2. प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।
3. प्रमुख इंजीनियर, सैनिक इंजीनियरी सेवा।
4. निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशक, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र।
6. प्रधान, भारतीय वास्तुक संस्थान, उत्तरी खण्ड
7. प्रधान, बिल्डर्ज़ एसोशिएशन, दिल्ली।
8. अध्यक्ष, भवन तथा आवास, राष्ट्रीय विज्ञान तकनोलोजी समिति।
9. उप-महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, (रसायन तथा खनिज उद्योग)

सदस्य-सचिव

10. निदेशक, राष्ट्रीय भवन (निर्माण संगठन)।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन को सलाहकार परिषद् के सभी सदस्य।
2. राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन को कार्यकारी समिति के सभी सदस्य।
3. राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन, नई दिल्ली।
4. आयोजना आयोग, नई दिल्ली।
5. आवास तथा नगर विकास निगम लि०, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
7. सेना-मुख्यालय (प्रमुख इंजीनियर शाखा) नई दिल्ली।
8. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
10. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की।
11. संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र।
12. भारतीय वास्तुक संस्थान उत्तरी खण्ड।
13. बिल्डर्ज एसोशिएशन।
14. विज्ञान तथा तकनीकी विभाग, नई दिल्ली।
15. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सरकारी उद्यम कार्यालय)।
16. रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सभी राज्य सरकारें।
18. इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरज (भारत) नई दिल्ली।
19. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. भवन निर्माण सामग्री निर्माता एसोशिएशन
21. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली।
22. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली।
23. आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान।
24. भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली।
25. औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. तकनीकी विकास के महानिदेशालय, नई दिल्ली।
27. भारत का राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया गया है कि संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

आर० गोपालास्वामी, संयुक्त सचिव,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th December 1973

No. 74-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Jawkim Lekra,
Constable No. 65016315,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

During December, 1971, Chaliyari Post in Jammu & Kashmir area was manned by 'A' Company of 16th Battalion of Central Reserve Police Force. On the night of 5th/6th December, 1971, an attack was launched by the Indian Forces on the nearest Pakistani post of Chak Bhura. Pakistani Forces retaliated with heavy bombardment on the line of advancement of the Indian Forces. Because of the heavy bombardment, the communication system of the Chaliyari Post was destroyed. In that situation Shri Jawkim Lekra who was a trained Technician rushed out of his bunker at grave risk to his life to locate the

points of damage of the communication system. He repaired the communication system and maintained it for a period of two hours inspite of the incessant shelling.

Shri Jawkim Lekra displayed cool courage and devotion to duty of a high order in the face of enemy fire.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th December, 1971.

No. 75-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer.

Shri Sultan Singh,
Subedar,
23rd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 18th September, 1972, information was received at the Company Headquarters of 'B' Company of 23rd Battalion, C.R.P.F. that so armed hostiles were present in village Lungpho in Mizoram. One C.R.P.F. patrol under the command of Shri Sultan Singh was deputed to search and apprehend these hostiles. The patrol party reached the vicinity of village Lungpho at about 0300 hrs. on 19th September, 1972. Shri Sultan Singh dressed himself as a civilian and entered the village in order to locate the hostiles. After obtaining reliable information about the places frequently visited by the hostiles, Shri Sultan Singh cordoned off the area and started screening of the village population. After full days effort he succeeded in breaking up one of the hostiles. The information given by this hostile led to the arrest of three other hostiles and recovery of 6 rifles, one grenade and 550 rounds of ammunition.

In the capture of hostiles and the recovery of arms and ammunition belonging to them, Shri Sultan Singh displayed exemplary leadership, dauntless courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effe ct from the 18th September, 1972.

No. 76-Pres/73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ajoy Krishna Roy,
Deputy Superintendent of Police,
Mizoram Special Branch.,
MIZORAM.

Statement of services for which the decoration has been awarded

In September, 1972, information was received by the Special Branch of Mizoram Police that a sabotage plan for conducting mischief in Minister's enclosure in the Secretariat and in the Assembly House at Aizawl was being worked out by the Self-Styled Superintendent of Police, MNF and Self-Styled Captain of MNA. Shri Ajoy Krishna Roy was entrusted with the task of capturing these two desperados. Four groups of Police Officers were detailed to work under Shri Roy. On 6th October, 1972, at about 10·45 A.M. one of the groups spotted the hostiles and informed Shri Roy. On receiving the information Shri Roy left for the hide-out of the hostiles. On reaching the hideout Shri Roy deployed two men on the road to keep watch on the escape of the hostiles and he himself went inside the house. He saw two young-men sitting on a box. Since he did not know the identity of the desperados he went towards the back-yard of the house. At that moment he was given the information by the Inspector of Police accompanying him that the two men who were sitting on the wooden box were hostiles. Shri Roy re-entered the room and caught hold of one of the desperados. The desperado sprang up on his feet and took out his loaded revolver and aimed it at Shri Roy. In the meantime, the Assistant Sub-Inspector of Police entered the room and covered the desperado with the revolver. Shri Roy seized the revolver from the second hostile. Both the desperados were arrested.

Shri Ajoy Krishna Roy exhibited courage and devotion to duty of high order in arresting the desperados.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 77-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Haryana Police :—

Names and ranks of the officers.

Shri Narain Dass,
Head Constable No. 1228/380 (Officiating),
(*Deceased*)
Ambala District

Shri Jagir Singh,
Constable No. 1223,
Ambala District,
Haryana.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 16th December, 1971, Head Constable Narain Dass along with two constables Sarvashri Jagir Singh and Ishar Singh left Jagadhri for Buria on patrol and nakabandi duty. When they had hardly covered a distance of two hundred yards, they saw a person being chased by two other persons. On enquiry they were told that the person who was running in front had picked the pocket of one of the chasers. Both Shri Narain Dass and Shri Jagir Singh joined the pursuit of the criminal. When Shri Narain Dass caught hold of the criminal, the criminal whipped out a knife and inflicted 3/4 blows in the chest of Shri Narain Dass. Inspite of his injuries Shri Narain Dass did not relax his hold of the accused and kept on holding him boldly and bravely till he fell down on the ground because of the weakness caused by excessive bleeding. Shri Jagir Singh who also tried to arrest the accused, was stabbed by the accused and received grevious injuries. The accused was, however over powered by the third constable who in the mean time arrived on the scene. Shri Narain Dass later succumbed to his injuries.

In their attempt to apprehend a desperate and dangerous criminal both Shri Narain Dass and Shri Jagir Singh exhibited a high sense of duty and conspicious gallantry. In an attempt to arrest the criminal Shri Narain Dass sacrificed his life.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th December, 1971.

No. 78-Pres/73.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of officer
Shri Kadiyala Narasimha Rao,
Jemadar
5th Battalion
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 3rd May, 1972, information was received about the hiding of some extremists in a mango grove in Nadia District. A Police party led by Shri S. C. Kundu, C. I. of Shantipur Police Station, along with Jemadar Kadiyala Narasimha Rao of 5th Battalion, Central Reserve Police Force, reached the site. The raid party was divided into three groups, one of which was led by Jemadar Rao. On seeing the Police party the extremists hurled grenades and started firing. Under the fire cover extremists attemted to escape but the attempt was foiled. Jemadar Rao who was on the flank tried to find out the position from where extremists were firing. At a great personal risk, he could locate the position of one extremist who was beyond the range of his pistol. This position was shown by him to Constable Dalip Kumar Singh who engaged this extremist occupying a vantage position. Jemadar Rao crossed over in the open country so that he could come close to the extremist on the spot. This was done in utter disregard of his personal safety, with bullets and grenades splinters flying all over the open ground His determination not only inspired his own men but also boosted the morale of the local police personnel. He was ably supported by Constable Dalip Kumar Singh who continued to engage the extremists against heavy odds.

Though two extremists were shot dead, other two managed to escape. They were given a chase by the Police party. In the comparatively open ground, Constable Dalip Kumar Singh fired effectively on one of the two extremists and killed him. The other extremist was also killed in the final assault.

Jemadar Kadiyala Narasimha Rao showed conspicuous gallantry and remarkable qualities of leadership in facing the extremists.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd May, 1972.

No. 79--Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of officer.
Shri Dalip Kumar Singh,
Constable,
5th Battalion,
Central Reserve Police Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 3rd May, 1972, information was received about the hiding of some top extremists in a mango grove in Nadia district. A Police party led by Shri S. C. Kundu, C. I. of Shantipur Police Station, along with Jemadar Kadiyala Narasimha Rao of 5th Battalion, Central Reserve Police Force, reached the site. The raid party was divided into three groups, one of which was led by Jemadar Rao. On seeing the police party the extremists hurled grenades and started firing. Under the fire cover the extremists attempted to escape but the attempt was foiled. Jemadar Rao who was on the flank tried to find out the position from where the extremists were firing. At great personal risk, he could locate the position of one extremist who was beyond the range of his pistol. This position was shown by him to Constable Dalip Kumar Singh who engaged this extremist occupying a vantage position. Jemadar Rao crossed over in the open country so that he could come close to the extremist's position and succeeded in shooting down two extremists on the spot. This was done in utter disregard of his personal safety, with bullets and grenades splinters flying all over the open ground. His determination not only inspired his own men but also boosted the morale of the local police personnel. Two extremists were shot dead but other two managed to escape. They were given a chase by the police party. In the comparatively open ground, Constable

Dalip Kumar Singh fired effectively on one of the two extremists and killed him. The other extremist was also killed in the final assault.

In facing the extremists, Constable Dalip Kumar Singh exhibited exemplary courage and high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd May, 1972.

The 10th December, 1973

No. 80 -Pres./73 :—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Special Police :—

Name and rank of the officer.

Shri Man Bahadur,
Naik,
'F' Company,
1st Battalion,
Andhra Pradesh Special Police,
Andhra Pradesh

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On June 15, 1972 , information was received by the Police that some extremists were taking shelter on the top of the hill Vanagutta near Ramanujapuram. On receipt of the information a Police Party along with few villagers of Ramanujapuram left for Vanagutta Hill. Shri Man Bahadur was a member of the Police Party. The Police Party was divided into two groups—one of which was led by Shri Man Bahadur. Shri Man Bahadur's party was asked to climb upto the top of the hill from the Western side of the hill. When this police party was climbing up the hill they were suddenly fired upon by the extremists from the vantage position. Shri Man Bahadur on seeing that one of the extremists was about to fire at him, took cover and fired at the extremist. The extremist was shot dead. In the meantime another extremist fired at Shri Man Bahadur but Shri Man Bahadur remained undeterred. In the resulting encounter this extremist was also shot dead by Shri Man Bahadur.

In the encounter with the extremists Shri Man Bahadur showed conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th June, 1972.

No. 81-Pres/73:—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer.

Shri Hem Raj ,
Head Constable,
19th Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 6th/7th January, 1973, an ambush was laid by the Border Security Force Post at Dhanur to capture Pak smugglers. Shri Hem Raj, Head Constable, was a member of the ambush party. At about 0430 hrs. on the 7th January, 1973 two persons were seen coming from Pakistani side by the ambush party. On being challenged they fired at the ambush party and tried to escape under the cover of darkness, through nearby cotton fields. The ambush party could not use fire arms effectively due to the darkness and cotton crop in the field. Shri Hem Raj spotted one of these smugglers and without caring for his personal safety rushed towards him and caught hold of him and also snatched his rifle. The intruder was thereafter searched. On revolver and contraband goods valued at Rs. 4000/- were found from him.

In apprehending the Pakistani smugglers Shri Hem Raj exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty and overpowered an armed smuggler single-handed in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and conseqnently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th January, 1973.

No. 82-Pres/73 :—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police :—

Name and rank of the officer.

Shri Amarendra Nath Gupta,
Sub-Inspector of Police, (*officiating*)
Criminal Intelligence Section,
Detective Department.
Calcutta.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 2nd December, 1970, when Shri Amarendra Nath Gupta came out of his residence at about 7.30 in the morning in plain clothes he was suddenly attacked by four youngmen who stabbed him on the chest and the abdomen. Shri Gupta started bleeding profusely but in utter disregard of his injury he chased the assailants. One of his neighbours tried to apprehend the assailants but was fatally stabbed by the fleeing assailant. Inspite of his injury Shri Gupta continued to chase the asailant and finally shot him dead. He then fell-down unconsciously.

Shri Amarendra Nath Gupta displayed great courage and bravery in an encounter with extremists in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police

Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd December, 1970.

No. 83-Pres/73:—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Tamil Nadu Fire Service :—

Name and rank of the officer.

Shri Vasudevan Jayaperumal,
Divisional Fire Officer,
South Arcot-Chingleput Division,
Tamil Nadu.

Statements of services for which the decoration has been awarded

On the night of 5/6th December, 1972, rivers Penniar, Gadilam Paravanar and Gomuki were in spate due to heavy rains. The cyclones also caused wide spread destruction. On the 8th December, 1972, Shri Vasudevan Jayaperumal was directed to organise rescue operations for the villagers of Thattampalayan near Melpattambakkam, who were reported to have been marooned and were struggling for their lives. Shri Jayaperumal rushed to the spot and unmindful of the risk involved he crossed the flooded area where the depth of the water was 4' to 5'. The rescue work organized by Shri Jayaperumal saved about 600 lives in Vanbakkam and Pudukuppam villages on 8th December, 1972 and of about 1500 persons in and around Cuddalore on 9th and 10th December, 1972. Shri Jayaperumal also rescued ten persons from being washed away in the flood near Chinnakangnankuppam. In organising rescue work Shri Jayaperumal worked tirelessly day and night and often at utter disregard to his own personal safety.

Shri Vasudevan Jayaperumal exhibited conspicuous gallantry and a high sense of devotion to duty in organising rescue work and thereby saved the lives of 2632 marooned persons.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th December, 1972.

No. 84-Pres./73:—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police :—

Name and rank of the officer.

Shri Sachindra Nath Chakraborty,
Constable No. 15241,
Criminal Intelligence Section,
Detective Department,
Calcutta.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 1st August, 1970, Shri Sachindra Nath Chakraborty was deputed with some members of the Calcutta Police to conduct raid on the hide-out of the extremists in Ram Kanta Mistry Lane in Muchipara Police Station, Calcutta, where some arms and ammunition were reported to have been stored. When the Police party approached the suspected place they were attacked with bombs. The Police party in disregard of the attack occupied a vantage position and tried to press forward but they were again attacked with bombs. Shri Chakraborty and the members of the Police party opened fire on the extremists as a result of which one of the extremists was arrested with bullet injuries. The Police altogether arrested nine persons and some bombs and ingredients of bombs were recovered.

In an encounter with extremists Shri Sachindra Nath Chakraborty displayed commendable courage and devotion to duty at a great personal risk in a raid on the hide-out of the extremists.

2. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st August, 1970.

A. MITRA, Secretary to the President.

New Delhi-110004, the 11 December, 1973

No. 1-14012/8/71-Adm. :—The Secretary to the President hereby appoints until further orders Shri Rajeshwari Prasad, officiating Assistant Reference Officer, President's Secretariat as Section Officer, President's Secretariat in an officiating capacity with effect from the 10th December, 1973 (forenoon).

No. A-14012/8/71-Adm :—The President is pleased to appoint, until further orders Shri A. K. Mukerjee, permanent Under Secretary, President's Secretariat, as Deputy Secretary to the President, President's Secretariat in an officiating capacity with effect from 10th December, 1973 (forenoon).

2. The Presient is pleased to appoint, until further orders, Shri O. P. Sharma, permanent Section Officer, President's Secretariat, as Under Secretary, President's Secretariat, in an officiating capacity with effect from the 10th December, 1973 (forenoon).

.S G. RAMAKRISHNAN,Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 31st October 1973

No. M-17011/12/72-Sup.:—The Government of India have decided to constitute two panels—one for processing applications for allotment of base stocks to new entrepreneurs of various sizes and the other for for allocation of the feed-stocks among all the new and old entrepreneurs and manufacturing units.

2. The composition and the terms of reference of these panels will be as under :—

(1) Panel for processing applications for allotment of base stocks to new entre preneurs of various sizes.

Composition (1)	Terms of Reference (2)
(1) Shri M. Kurien, Chairman Adviser (Refineries), Ministry of Petroleum and Chemicals, Shastri Bhawan, New Delhi.	The panel will compile statistics, determine the pattern of demand for all India and regional basis and future rate of growth as would assist it in deciding on the merits of the applications. The panel would also recommend to Government the type of sector (small, medium or large), scale of size and allotment of quota for the base stocks to new entrepreneurs after techno-economic survey, which may be conducted by Indian Institute of Petroleum and Indian Oil Corporation as under :—
(2) Dr. I. B. Gulati, Member Head of Division, Indian Oil Corporation, (Research & Development Centre) House Nos. 45-46, Sector 16-A, Faridabad.	
(3) Shri P. K. Goel, Member Head, Products Application Division, Indian Institute of Petroleum Dehra Dun. OR in his absence Shri H. K. Mulchandani, Head, Projects Division, Indian Institute of Petroleum, 19, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi- 24.	(a) visit to the manufacturing unit to ascertain the technical capacity of the entrepreneur to manufacture product included in his application ; and (b) check on the genuineness of the party and various other miscellaneous Matters through their sales representatives.

(2) Panel for allocation of the feed-stocks among all the new and old entrepreneurs and manufacturing units.

(1)	(2)
(1) Shri M. Kurien, Chairman Adviser (Refineries), Ministry of Petroleum and Chemicals, Shastri Bhawan, New Delhi.	The panel will :— (a) allocate the feed-stocks in an equitable manner among all the new and old entrepreneurs and manufacturing units in the various sectors—large, registered and small scale;
(2) Shri S.M. Saxena, Member Manager, Special Projects, (Lubricants). Marketing Division, Indian Oil Corporation 254-C, Dr. Annie Besant Rd. Prabhadevi, Bombay-25-DD.	(b) keep and maintain proper statistics of supplies made, products produced and sold etc;
(3) Shri P. K. Goel, Member Head, Products Application Division, Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun. OR in his absence Shri H. K. Mulchandani, Head, Projects Division, Indian Institute of Petroleum, 19, Ring Road, Lajpat Nagar -IV. New Delhi-24.	(c) recommend to Government to take steps to increase availability of raw-materials if the availability of feed-stock is not sufficient for meeting the demand in the country; and (d) check (as regards quality control aspect) if the parties have the ISI mark before raw-material supplies are made.

3. The secretariat assistance, as may be required by the above two panels, will be provided by the Indian Oil Corporation Limited. The technical expertise to judge the technical ability of the manufacturers to produce products as claimed by them will be provided by the Indian Institute of Petroleum.

4. The panels will meet at least once every three months and oftener, if considered necessary by the Chairman.

O R D E R

ORDERED that this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenues.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. MEHTA, Deputy Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF COOPERATION

New Delhi, the 30th November, 1973

RESOLUTION

No. R-15013/2/70-P&C :—In continuation of this Department Resolutions of even number dated the 2nd September 1972, 13th February and 27th July 1973, respectively, reconstituting the Consultative Council on Cooperation, and making additions thereto, following further addition is made in paragraph 1 of the Resolution dated the 2nd September 1972:—

28. President, National Cooperative Dairy Federation of India.

K. S. BAWA, Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE

DEPARTMENT OF EDUCATION

New Delhi, the 12th December, 1973

(EDUCATION)

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890.

In the matter of the Lawrence Memorial School (Lovedale) Fund.

No. F. 5-1/73-U. T.-2:—On the application and with the concurrence of the Board of Administration acting in the administration of the Charitable Trust for the establishment and maintenance of what is known as The Lawrence Memorial School (Lovedale) Fund, the Central Government in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (VI of 1890), hereby makes the following modifications in the scheme set forth in the Schedule annexed to the Government of India in the Ministry of Defence Notification No. 778-A, dated the 14th May, 1949 and as amended in the Ministry of Education Notification No. F. 19-84/52-GI dated the 14 August, 1952 and as further amended in the Ministry of Education and Scientific Research Notification No. F. 19-32/57-D-5 dated the 23rd/24th August, 1957 namely :—

SCHEDULE II

Clause 6 (1)	*after* (b) *add* (c) A parent (d) An Old Lawrencian.
Clause 6 (3)	*Delete* "Secretary but not a member" and *Add* "Member-Secretary".

This Notification is in supersession of Ministry of Education and Social Welfare Notification No. F. 5-1/73-U.T.-2, dated 3-10-1973.

S. M. S. CHARI,
Joint Educational Adviser

New Delhi-1, the 12th December, 1973

RESOLUTION

No. E. 11015/1/73-CDN :—Considering the nature of the work in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture and its network of attached and subordinate offices in almost all the States of the country, it is necessary that the Union Official Language, Hindi, is progressively used in the affairs of the Ministry in accordance with the Official Languages Act and instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time. To advise this Ministry on progressive use of Hindi in the transaction of official business, it is hereby resolved to constitute a Hindi Advisory Committee (Shiksha Mantralaya Hindi Salahakar Samiti) for the Ministry of Education, Social Welfare and Culture. The composition and functions of the Committee shall be as follows:—

I. Composition :—

Education Minister	Chairman
Deputy Minister (in the Ministry of Education.)	Vice-Chairman, (who will preside in the absence of E.M.)

Four M. Ps. from Lok Sabha

(i) Shri Nawal Kishore Sinha, M.P.	Member
(ii) Shri Mallikarjun, M.P. . .	Member
(iii) Shri Shanker Dev, M.P. . .	Member
(iv) Vacant-1.	

Two M. Ps. from Rajya Sabha

(i) Shri Bindeshwari Prasad Singh, M.P.	Member
(ii) Shri Man Singh Verma, M.P. .	Member

OFFICIALS

Education Secretary	Member
Additional Secretary (Culture) .	Member
Additional Secretary (Social Welfare)	Member
Hindi Adviser to Government of India, Ministry of Home Affairs .	Member
Joint Secretary incharge of Official Language in the Ministry of Home Affairs	Member
All Bureau Heads in the Departments of Education and Culture .	Members
Joint Secretary (Social Welfare) .	Member

Bureau Head, Administration Division, Department of Education will be Member-Secretary and Director (Admn.) will be the Joint Member-Secretary.

II. FUNCTIONS :

The Samiti shall advise the Government of India, Ministry of Education, Social Welfare and Culture on matters of policy pertaining to the progressive use of Hindi in the affairs of the Ministry and any matters ancillary and incidental to the above.

III. TENURE :

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its first composition provided that:

(i) a member nominated under clause I shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament ;

(ii) the ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(iii) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc., of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

IV. QUORAM :

The quoram for the meetings of the Samiti shall be 1/3rd of total membership of the Samiti.

V. GENERAL :

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings as may be necessary from time to time.

(ii) The headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations. Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General, Chief Pay and Accounts Officer and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. K. SETH,
Director (Administration)

New Delhi-110001, the 10th December, 1973

RESOLUTION

No. F. 1-11/71-S.W. 3/WW.—In partial modification of the Department of Social Welfare Resolution No. F. 1-16/69-W.S. 3, dated the 22-4-1969 constituting the General Body of the Central Social Welfare Board (Company) as amended from time to time, the Government of India are pleased to appoint Dr. V. D. Mullick, Commissioner, Family Planning, Department of Family Planning, Ministry of Health and Family Planning as a member in the Central Social Welfare Board with effect from 1-2-1973 *vice* Dr. (Miss) Lila V. Phatak.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of Central Social Welfare Board.
2. All State Governments/Union Territories.
3. All Ministeries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt./P.M.'s Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi (with 50 spare copies).
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Deputy Secy.

(Department of Culture)

New Delhi, the 6th December, 1973

RESOLUTION

No. F. 22-3-/73-CAI (2). —It has been decided by the Government of India that the Constitution of the Indian Historical Records Commission (1972) as notified in the Gazette of India under this Department Resolution No. F. 22-7/69-CAI(2), dated the 10th March, 1972 be amended as follows:—

(1) After para 3 I (A) (7), the following para may be added:—

"(8) The Deputy Director of Archives or Assistant Director of Archives concerned with the work of the Indian Historical Records Commission and nominated by the Director of Archives—Ex-Officio Joint Secretary."

(2) After para 3I V (1) (C), the following para may be added :—

"(d) The Deputy Director of Archives or Assistant Director of Archives concerned with the work of the Indian Historical Records Commission and nominated by the Director of Archives—Ex-Officio Joint Secretary."

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India.

M. R. CHOWDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 22nd November, 1973

No. 11/13/67-B & B.—In supersession of this Ministry's notification of even number, dated the 3rd November, 1973, it has been decided to reconstitute, with immediate effect, the Board of Consultants, Beas Project, as follows :—

1. Dr. A. N. Khosla, . . .	Chairman
2. The Chairman, Central Water and Power Commission . . .	Member
3. Shri M. R. Chopra . . .	Member
4. Shri B. R. R. Iyengar . . . Chairman, WAPCOS	Member
5. Shri N. G. K. Murti . . .	Member
6. Shri P. S. Bhatnagar . . .	Member
7. Shri K. L. Vij	Member
8. Shri R. S. Gill, Commissioner and Ex-officio Secretary to the Government of Jammu and Kashmir, Department of Power, Jammu/Srinagar	Member
9. Shri Hari Singh Chowdhary, Chairman & Administrator, Rajasthan Canal Board	Member
10. The Member (Hydro-Electric), Central Water and Power Commission .	Member
11. Dr. F. A. Nickell . . .	Member
12. Shri J. B. Cooke	Member
13. The Commissioner for Indus Waters and ex-officio Joint Secretary to the Government of India .	Member
14. Shri M. K. Roy, Chaudhary, Director General of Geological Survey of India	Member
15. Shri P. M. Mane	Member

C. S. HUKMANI, Deputy Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 12th December, 1973

RESOLUTION

No. 7/20/72-PS. —After considering the Report of the Standing Committee of the National Buildings Organisation on re-organisation of work and set up of the National Buildings Organisation, the Government of India have constituted with immediate effect an Advisory Council of National Buildings Organisation in place of the Standing Committee of the National Buildings Organisation which was set up in the Ministry of Works, Housing and Supply Resolution No. H-4 (8)/54 dated the 9th July, 1954. The Composition of the Advisory Council is as follows:—

PRESIDENT

Minister for Works and Housing

MEMBERS

	No.
Minister of State for Works and Housing	1
Member, Planning Commission (Housing)	1
Secretary, Ministry of Works and Housing	1
Managing Director, Housing and Urban Development Corporation Ltd.	1
Joint Secretary (Housing), Min. of Works & Housing	1
Joint Secretary (Finance) attached to the Ministry of Works and Housing	1
Engineer-in-Chief, Central Public Works Department	1
Engineer-in-Chief, Military Engineering Service	1
Member (Engineering), Railway Board .	1
Chief Engineers of State Public Works Department (by rotation) . .	4
President, Institution of Engineers (India)	1
Advisor (Construction), Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance	1
Indian Institute of Technology and Technical Universities (by rotation) .	1
Building Contractors from Northern, Eastern, Western and Southern Regions (by rotation)	2
President, Indian Institute of Architects	1
Chief Architect, CPWD/MES/Railways (by rotation)	1
Practising Architects, Delhi, Bombay, Calcutta and Madras regions (by rotation)	2
President, Building Materials Manufacturer's Association (by rotation) .	2
Central Statistical Organisation . .	1
Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation . . .	1
Research Institutes in the field of economic and Sociology (by rotation) .	1
Chairman, State Housing Boards (by rotation)	3
Director, Central Building Research Institute	1
Director, Structural Engineering Research Centre	1
Director General, Indian Standards Institution	1
Director General, Technical Development	1
Development Commissioner, Small Scale Industries	1
Chief, (Housing and Urban Development) Planning Commission . .	1
Director, State Public Works Department, Research Laboratories and other Research Laboratories (by rotation)	1

Director General, Council of Scientific and Industrial Research, nominee (Scientists Coordinator Extension and Industrial Liaison (CSIR) . . .	1
Head of Indian National Scientific Documentation Centre . . .	1
Member-Secretary	
Director, National Buildings Organisation	1
Total :	40

2. Also, after considering the above-mentioned Report of the Standing Committee, the Government of India have constituted with immediate effect an Executive Committee of National Buildings Organisation consisting of 12 members to review and guide the work of that Organisation on day-to-day basis and ensure that the recommendations made by the Advisory Council of that Organisation are implemented in the most effective manner. The composition of the Executive Committee is as follows:—

Chairman : Member, Planning Commission (Housing).

Vice-Chairman : Joint Secretary (Housing), Ministry of Works and Housing.

Members :

1. Managing Director, Housing and Urban Development Corporation Ltd.
2. Engineer-in-Chief, Central Public Works Department.
3. Engineer-in-Chief, Military Engineering Service.
4. Director, Central Building Research Institute.
5. Director, Structural Engineering Research Centre.
6. President, Indian Institute of Architects, Northern Chapter.
7. President, Builder's Association, Delhi.
8. Chairman, Building and Housing, National Committee on Science and Technology.
9. Deputy Director General, Directorate General of Technical Development (Chemical and Mineral Industries).

Member-Secretary :

Director, National Buildings Organisation.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All members of the Advisory Council of National Buildings Organisation.
2. All members of the Executive Committee of National Buildings Organisation.
3. National Buildings Organisation, New Delhi.
4. Planning Commission, New Delhi.
5. Housing and Urban Development Corporation Ltd., New Delhi.
6. Central Public Works Department, New Delhi.
7. Army Headquarters (Engineer-in-Chief's Branch), New Delhi.
8. Ministry of Defence, New Delhi.
9. Council of Scientific and Industrial Research New Delhi.
10. Structural Engineering Research Centre.
11. Central Building Research Institute, Roorkee.
12. Indian Institute of Architects, Northern Chapter.
13. Builders' Association.
14. Department of Science and Technology, New Delhi.
15. Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) (Bureau of Public Enterprises), New Delhi.
16. Ministry of Railways, New Delhi.
17. All State Governments.
18. Institution of Engineers (India), New Delhi.
19. Ministry of Education, New Delhi.
20. Building Materials Manufacturers Association.
21. Central Statistical Organisation, New Delhi.
22. National Sample Survey Organisation, New Delhi.
23. Research Institute in the field of Economics and Sociology.
24. Indian Standards Institution, New Delhi.
25. Ministry of Industrial Development, New Delhi.
26. Directorate General of Technical Development, New Delhi.
27. Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

R. GOPALASWAMY
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973